तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/5/25	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। हमने पत्रावली का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति ~~[illegible]~~ नहीं है रही है अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। वादपूर्ति सलामत मुलवाद रहे। सहायक कलक्टर बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)